लैन्सडौन वन प्रभाग

(शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड)

की

प्रबन्ध योजना

(अवधि नियंत्रण वर्ष 2014–15 से 2023–24)

अमूल्य रत्न सिन्हा, भा0व0से0

प्रमुख वन संरक्षक, कार्ययोजना उत्तराखण्ड

के निर्देशन में

ए0 के0 त्रिपाठी, रा0व0से0

कार्ययोजना अधिकारी

द्वारा संकलित

खण्ड–2 (परिशिष्ट)

मुख्य वन संरक्षक, कार्ययोजना
उत्तराखण्ड हल्द्वानी
2014

परिशिष्ट–5

चैम्पियन एवं सेठ के वन वर्गीकरण के अनुसार प्रभाग में विभिन्न वन प्रकारों के अर्न्तगत क्षेत्रफल का विवरण

क्रम सं0	मुख्य वर्ग/उपवर्ग	चैम्पियन तथा सेठ के वर्गीकरण के अनुसार नाम		क्षेत्रफल (है0 में)
		हिन्दी में	अंग्रेजी में	
1	2	3	4	5
	मुख्य वर्ग–3	*ऊष्ण देशीय आर्द्र पर्णपाती वन–*	*ट्रौपिकल मोइस्ट डेसिडुअस फौरेस्ट*	
1	3सी/सी–2ए	आर्द्र शिवालिक साल वन	मोइस्ट शिवालिक साल फारेस्ट	14510.4
2	3सी/सी–3ए	पश्चिमी गांगेय आर्द्र मिश्रित पर्णपाती वन	वेस्ट गैंगेटिक मोइस्ट डेसिडुअस फौरेस्ट	645.1
			योगः–	15155.5
	मुख्य वर्ग–5	ऊष्ण देशीय शुष्क पर्णपाती वन	ट्रौपिकल ड्राई डेसिडुअस फौरेस्ट	
3	5बी/सी –1ए	शुष्क शिवालिक साल वन	ड्राई शिवालिक साल फौरेस्ट	10711.9
4	5बी/सी–2	उत्तरी ऊष्ण देशीय शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन	नार्दन ट्रापिकल ड्राई मिक्सड डेसिडूअस फौरेस्ट	13153.5
5	5/ई–9	शुष्क बांस के गहन	ड्राई बम्बू ब्रेक्स	986.1
			योगः–	24851.5
	मुख्य वर्ग–9	उपोष्ण चीड़ वन	सब ट्रौपिकल चीड़ पाइन फारेस्ट	
6	9सी/1बी	हिमालय के उपोष्ण चीड वन	हिमालयन सब ट्रौपिकल चीड़ पाइन, फौरेस्ट	2659.8
	मुख्य वर्ग–12	हिमालय के आर्द्र शीतोष्ण वन	हिमालयन मोइस्ट टेम्परेट फौरेस्ट	
7	12सी/1ए	बांज–ओक वन	बांज–ओक फौरेस्ट	660.8
	योगः–	–	–	43327.6

****

63	सिगड्डी 1ब	273.7				51.2	222.5							0.6	तीन	सं एवं सु (विधि)
64	सिगड्डी 19अ	25					25							0.4		सं एवं सु (विधि)
65	सिगड्डी 19ब	241.7				71.2	170.5							0.5	तीन	सं एवं सु (विधि)
66	खैरगढ़ी 1	180.1					71.4		108.7					0.7		सं एवं सु (विधि)
67	खैरगढ़ी 2	219.3					95.2		124.1					0.8		सं एवं सु (विधि)
68	मालन 1अ	226.5				120.5	106							0.7	दो	सं एवं सु (विधि)
69	मालन 1ब	144.6				93.4	51.2							0.6	दो	सं एवं सु (विधि)
70	मालन 2	258.2		99.4			148					10.8		0.5	दो/तीन	सं एवं सु (विधि)
71	मालन 3अ	12.5					11.8						0.7	0.4		सं एवं सु (विधि)
72	मालन 3ब	42.3					42.3							0.4		साल प्रबन्धन
73	मालन 3स	176.7			120.7	40	16							0.6	चार	सं एवं सु (विधि)
74	मालन खाम	306.3						204.2				102.1		0.3		सं एवं सु (विधि)
75	ग्वालगढ 1	282.5				167.8	114.7							0.7	तीन/चार	साल प्रबन्धन
76	ग्वालगढ 2अ	5.8					5.8							0.4		साल प्रबन्धन
77	ग्वालगढ 2ब	291.6			96	179.6	16							0.5	तीन/चार	सं एवं सु (विधि)
78	ग्वालगढ 3अ	3.8				3.8								0.4	चार	साल प्रबन्धन
79	ग्वालगढ 3ब	98.8				98.8								0.5	तीन	सं एवं सु (विधि)
80	ग्वालगढ 3स	149.9			47	102.9								0.6	तीन/चार	साल प्रबन्धन
81	ग्वालगढ 4अ	7.1				7.1								0.4	चार	साल प्रबन्धन
82	ग्वालगढ 4ब	248.3			73.6	174.7								0.5	तीन	सं एवं सु (विधि)
83	ग्वालगढ 6अ	203.7		116		38.4	44.8					4.5		0.5	दो/तीन	सं एवं सु (विधि)
84	ग्वालगढ 6ब	90.9		12.2		11.1	67.6							0.5	तीन	साल प्रबन्धन
85	सुखरौ 1	221			65.4	152.4	3.2							0.6	तीन	सं एवं सु (विधि)
86	सुखरौ 2	206				89.7	115.9						0.4	0.5	तीन	सं एवं सु (विधि)
87	सुखरौ खाम	134.3						118.3				16		0.3		सं एवं सु (विधि)
88	पनियाली 1	41					24					17		0.4		साल प्रबन्धन
89	पनियाली 2	66.8					51					15.8		0.5		साल प्रबन्धन
90	पनियाली 3	49.8					48					1.8		0.5		साल प्रबन्धन
91	पनियाली 4	77.7					61					16.6	0.1	0.4		साल प्रबन्धन
92	सतीखाल 1	328.6			92.2	44.6	62.2		121				8.6	0.6	दो/तीन	सं एवं सु (विधि)
93	सतीखाल 2	314.4				108.6	54.4		151.4					0.7	दो/तीन	सं एवं सु (विधि)
94	सतीखाल 3	280				77.6	90.1		112.3					0.6	दो/तीन	सं एवं सु (विधि)
95	गिवई 1	175.2			138.4		30.4					6.4		0.6	दो	सं एवं सु (विधि)
96	गिवई 2	235.1			122.9	38.4	49.6					14.4	9.8	0.6	दो/तीन	सं एवं सु (विधि)
97	गिवई 3	282.5				227.5	49.5					4.8	0.7	0.5	तीन	सं एवं सु (विधि)
98	सिद्धबली खाम	15.3					14.6						0.7	0.6		सं एवं सु (विधि)
99	लालपानी 1अ	95.9			40.6	24.5	28.6						2.2	0.5	तीन	साल प्रबन्धन
100	लालपानी 1ब	264.7			110.3	32	120.7						1.7	0.5	तीन	साल प्रबन्धन
101	लालपानी 2	207.6				129.6	73.4						4.6	0.5	तीन	साल प्रबन्धन

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

Tel/Fax No. 01382-228467 E-mail- dfo_lansdowne@yahoo.com

पत्रांकः-2438/12-1 ,दिनांक, कोटद्वार, 21 : 01 : 2025.

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषयः- **भारत परियोजना "लॉट-4/पैकेज-2 के तहत् उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में नजीबाबाद-कोटद्वार को कोटद्वार, पौढ़ी सड़क से जोड़ने वाले एन0एच0-119 के कोटद्वार बाईपास के 4 लेन के निर्माण हेतु 1.10 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक-8बी0/यू0सी0पी0/06/35/2024/एफ0सी0 दिनांक 24-12-2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर लगाये गये आपत्तियों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

क्र0 सं0	ई0डी0एस0	अनुपालन आख्या
1	The proposed diversion area is only 1.1 ha and density for 98 trees is given as 0.6. A clarification in this regard is required to be submitted.	बिन्दु सं0-01 के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रयुक्त आरक्षित वन भूमि (गिवंई क0सं0-3) का प्रबन्ध योजना नियंत्रण वर्ष 2024-15 से 2023-24 तक के अनुसार घनत्व त्रुटिवश 0.6 लिया गया है। उक्त क्षेत्र का घनत्व प्रबन्ध योजना नियंत्रण वर्ष 2024-15 से 2023-24 तक के अनुसार 0.5 है, जिसे ऑन लाईन भाग-2 में भी संशोधित कर लिया गया है।
2	The FRA certificate is required to be uploaded at para K in Part-1.	बिन्दु सं0-2 के क्रम में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा एफ0आर0ए0 से सम्बधित प्रमाण-पत्र भाग-1 में यथास्थान अपलोड कर दिया गया है।
3	NBWL dearance shall be submitted as the area is part of buffer zone of Rajaji Tiger Reserve.	बिन्दु सं0-03 के क्रम में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा अवगत कराना है कि एन0एच0ए0आई0 ने दिनांक 21.03.2024 को प्रस्ताव संख्या WL/UK/Road/446764/20024 के तहत वन्यजीव मंजूरी के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है। एस0बी0डब्ल्यू0एल0 ने दिनांक 19.07.2024 की अपनी बैठक में एन0बी0डब्ल्यू0एल0 को प्रस्ताव की सिफारिश की है। प्रस्ताव एन0बी0डब्ल्यू0एल0 द्वारा विचाराधीन है। इसके अलावा, यह भी उल्लेख करना है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्यजीव प्रभाग) ने पत्र संख्या WL-6/14/2023 WL दिनांक 18.03.2024 के तहत दिशा निर्देश जारी किए हैं कि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत एस0सी0एन0बी0डब्ल्यू0एल0 की सिफारिशों के अनुमोदनों और वन मंजूरी की आवश्यकता वाले प्रस्तावों को वन मंजूरी प्राप्त होने के बाद ही एस0सी0एन0बी0डब्ल्यू0एल0 पर विचार के लिए रखा जाएगा।
4	CA is proposed over DFL. As per the V (S&S) Rules, 2023, CA is required over NFL only.	बिन्दु सं0-4 के क्रम में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित नॉन फोरेस्ट लैण्ड (Non Forest land) से सम्बधित सूचना भाग-1 में यथास्थान अपलोड कर दिया गया है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
(आकाश गंगवार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

पत्रांकः- 2438/12-1 ,दिनांकित।

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण) इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2-परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, नजीबावाद, उत्तर प्रदेश।

(हस्ताक्षर)
(आकाश गंगवार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

0/c

7024 (G.A.)